दैनिक भास्कर
NEW DELHI | TUESDAY, 28 JANUARY 2025

बजट 2025

हर जिले में बनें साइबर कोर्ट

न्याय और डिजिटल सुरक्षा को सशक्त बनाने की आस

शैलेश तिवारी | मुंबई

केंद्रीय बजट 2025 से न्यायपालिका और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार के लिए विशेष प्रावधान की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार अदालतों के बुनियादी ढांचे और डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता देकर देश की आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा सकता है। जिस तरह से साइबर क्राइम और तकनीकी तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे निपटने के लिए हर जिले में एक साइबर कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए बजट में फंडिंग की व्यवस्था की उम्मीद है। इस तरह के साइबर कोर्ट अत्याधुनिक तकनीक से लैस किए जाने चाहिए।

डिजिटल अपराध से निपटने में मिलेगी मदद

साइबर एक्सपर्ट प्रशांत माली के अनुसार पुलिस और न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। एआई आधारित ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अत्याधुनिक उपकरणों पर धनराशि खर्च की जानी चाहिए ताकि साइबर अपराधों की रोकथाम, मामलों की तेजी से जांच और न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। डिजिटल अपराध से निपटने के लिए साइबर कोर्ट की आवश्यकता है, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए।

वर्चुअल कोर्ट रूम के लिए संसाधन आवंटित करें : एयू कॉरपोरेट एडवाइजरी और लीगल सर्विसेज के संस्थापक अक्षत खेतान ने कहा कि न्याय वितरण प्रणाली की रीढ़ होने के बावजूद देश भर में कई अदालतें अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और तकनीकी एकीकरण की कमी से जूझ रही हैं। कोर्टरूम के आधुनिकीकरण और रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए पर्याप्त बजट आवंटन अनिवार्य है। वर्चुअल कोर्ट रूम के लिए संसाधन आवंटित करना न केवल मामलों के निपटान में तेजी लाएगा, बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, अदालत परिसरों के भीतर वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र स्थापित करने के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए, ताकि पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम हो सके।

न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण

आईसीएल एडवोकेट्स के संस्थापक प्रशांत झाला के अनुसार साइबर खतरों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। सरकार को प्रशिक्षित कर्मियों और उन्नत प्रौद्योगिकी में निवेश कर साइबर अपराधों का समाधान करना चाहिए। यह न केवल डिजिटल अवसंरचना में विश्वास बढ़ेगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। इस बजट में ई-कोर्ट पहल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एआई-आधारित केस प्रबंधन प्रणाली और वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्रों की स्थापना जैसे प्रावधानों की उम्मीद है। साथ ही, साइबर सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए विशेष साइबर अपराध इकाइयों और डिजिटल सुरक्षा उपायों में निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न्याय और डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार लाने में सहायक होगा।